राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6035/2022

डॉ. बीना मनोचा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 23.11.2022
आदेश की दिनांक : 30.11.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बसंल, अभिभाषक

समक्ष :– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस काला, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी पी.सी.एम.ओ के पद पर राजकीय जिला चिकित्सा रतनगढ़ जिला चूरू में कार्यरत है। अपीलार्थी के पति भी राजकीय सेवा में पी.सी.एम.ओ. के पद पर राजकीय चिकित्सालय लाड़नू, जिला नागौर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने पति–पत्नि की विभाग की पॉलिसी एवं माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के आदेश डॉ. देवेश गुप्ता बनाम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में पारित आदेश के आधार पर एक अभ्यावेदन दिनांक 08.08.2022 (अनुलग्नक–1) निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी का पदस्थापन उसके गृह जिले जयपुर में अभ्यावेदन दिनांक 08.08.2022 में जो रिक्त स्थान दिखाये गये है 1 यू.पी.एच.सी., किरठपथ मानसरोवर, जयपुर, 2 यू.पी.एस.सी. सागांनेर, जयपुर, 3 ई.एस.आई. डिपेन्सरी सागांनेर, जयपुर में किया जावें। अपीलार्थी की बच्ची बी.डी.एस. फाईन ईयर की विधार्थी महात्मा गांधी कॉलेज में अध्ययनरत है एवं अपीलार्थी का बच्चा जे.ई.ई. की पढाई जयपुर

से कर रहा है एवं अपीलार्थी की सास 90 साल की वृद्ध महिला है, जो काफी बीमारियों से ग्रसित है, जिसका ईलाज भी जयपुर से चल रहा है। जिसकी देखभाल के लिए भी किसी का घर पर होगा अति आवश्यक है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के संबंध में कई प्रकार के अभ्यावेदन अनुलग्नक–2 07.06.2022, अनुलग्नक–5 22.03.2021/24.11.2021 विभाग को दे रखे है। जिन पर विभाग के द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये स्वयं अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी रिक्त स्थान दर्शाते हुए 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 2 सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(एम.एस. काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य